

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—25/2020 (2020/00038) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. घनश्याम आत्मज कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा  
प्रार्थी

बनाम

1. सुरेशचन्द्र मु० भवंरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीप्रसाद आत्मज शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. संजयकुमार आत्मज शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनोहरदेवी पत्नि शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. काना आत्मज गोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रहलाद आत्मज भोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमकंवर आत्मज भोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1971 रकबा 0.28 है०, आराजी संख्या 4887/1976 रकबा 0.065 है०, आराजी संख्या 4893/2036 रकबा 0.12 है०, आराजी संख्या 4897/2037 रकबा 0.22 है०, कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.685 है० भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थी ने दिनांक 04.11.2019 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 24.02.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार


अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1971 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 4887/1976 रकबा 0.065 है0, आराजी संख्या 4893/2036 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 4897/2037 रकबा 0.22 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.685 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
उपखण्ड अधिकारी अधिकारी  
सहायक कलेक्टर रायपुर (मिर्जापुर जिला) च.प्र.

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-25/2020 (2020/00038) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1. घनश्याम आत्मज कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा  
प्रार्थी

**बनाम**

1. सुरेशचन्द्र मु० भवंरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीप्रसाद आत्मज शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. संजयकुमार आत्मज शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनोहरदेवी पत्नि शंकरलाल बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. काना आत्मज गोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रहलाद आत्मज भोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमकंवर आत्मज भोपालदान बड़वा नि० सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट**

**प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 22.07.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1971 रकबा 0.28 है०, आराजी संख्या 4887/1976 रकबा 0.065 है०, आराजी संख्या 4893/2036 रकबा 0.12 है०, आराजी संख्या 4897/2037 रकबा 0.22 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 0.685 है० भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी



(सुन्दर लाल बम्बोडा)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

